

Main Attachment- 1.6

परियोजना का नाम :- मुख्य मंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विकास खण्ड बेतालघाट में थापली से रहेली तक मोटर मार्ग।

प्रारूप-30.4

दिनांक 04.04.18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम खैरनी

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---------|--|-------------|
| 1 | जगत सिंह | जगत सिंह |
| 2 | नवीन सिंह | नवीन सिंह |
| 3 | प्रमोद सिंह | प्रमोद सिंह |
| 4 | चतुरा सिंह | चतुरा सिंह |
| 5 | चन्दन सिंह महारा | चन्दन सिंह |
| 6 | दामोदर | दामोदर |
| 7 | देवा सिंह | देवा सिंह |
| 8 | मोहन सिंह | मोहन सिंह |
| 9 | मोहन देवी | मोहन देवी |
| 10 | प्रेमा देवी | प्रेमा देवी |
| 11 | बिजय | बिजय |
| 12 | कमला देवी | कमला देवी |
| 13 | श्याम देवी | श्याम देवी |
| 14 | गंगा देवी | गंगा देवी |
| 15 | हरी देवी | हरी देवी |
| 16 | दीवाना सिंह | दीवाना सिंह |
| 17 | रमेश लाल | रमेश लाल |
| 18 | मोहन सिंह | मोहन सिंह |
| 19 | मोहन सिंह | मोहन सिंह |
| 20 | मोहन सिंह | मोहन सिंह |
| 21 | मोहन सिंह | मोहन सिंह |
| 22 | मोहन देवी | मोहन देवी |
| 23 | मोहन देवी | मोहन देवी |
| 24 | सुनील देवी | सुनील देवी |
| 25 | बसन्त देवी | बसन्त देवी |
| 26 | मोहन | मोहन |
| 27 | लीला देवी | लीला देवी |
| 28 | दीना देवी | दीना देवी |
| 29 | मोहन सिंह | मोहन सिंह |
| 30 | मोहन सिंह | मोहन सिंह |

ह0/-

ग्राम प्रधान

कविता
कविता जन्मवाल

प्रधान

ग्राम पंचायत खैरनी
वि०ख० बेतालघाट (नैनीताल)

परियोजना का नाम :- मुख्य मंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विकास खण्ड बेतालघाट में थापली से रहेली तक मोटर मार्ग।

Main Attachment- 1.6

प्रारूप-30.4

दिनांक 04/04/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम:- रहेली

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---------|--|-----------|
| 1. | ज्योति जलवाल | — |
| 2. | बहादुर सिंह | — |
| 3. | आनार सिंह | — |
| 4. | पुनजा सिंह | — |
| 5. | अश्विनी श. कुमार | — |
| 6. | बालन सिंह | — |
| 7. | पुनजा सिंह | — |
| 8. | पुनजा सिंह | — |
| 9. | पुनजा सिंह | — |
| 10. | आनार सिंह | — |
| 11. | बहादुर सिंह | — |
| 12. | पुनजा सिंह | — |
| 13. | पुनजा सिंह | — |
| 14. | पुनजा सिंह | — |
| 15. | बालन-चाँद सिंह | — |
| 16. | नरेश सिंह | — |
| 17. | शमशेर सिंह | — |
| 18. | पुनजा सिंह | — |
| 19. | हाकूमत सिंह | — |
| 20. | पुनजा कुमार | — |
| 21. | मिहिरा पंडा | — |
| 22. | पुनजा सिंह | — |
| 23. | हाकूमत सिंह | — |
| 24. | हाकूमत सिंह | — |
| 25. | पुनजा कुमार | — |
| 26. | पुनजा कुमार | — |
| 27. | पुनजा कुमार | — |
| 28. | Kishor | — |
| 29. | पुनजा सिंह | — |
| 30. | पुनजा सिंह | — |

कविता
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत खैरनी
बेतालघाट (नैनीताल)

Main Attachment- 1.6

परियोजना का नाम :- मुख्य मंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विकास खण्ड बेतालघाट में थापली से रहेली तक मोटर मार्ग।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम खैरनी
तहसील बेतालघाट, जिला नैनीताल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत थापली से रहेली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, 2.817 हे० सिविल सोयम भूमि, शून्य हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 2.187 हे० वन भूमि का निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग नैनीताल के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत खैरनी, रहेली द्वारा दिनांक 04/04/2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम खैरनी, रहेली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग नैनीताल को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत खैरनी
बेतालघाट (नैनीताल)

ह०/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

कविता
कविता जन्तवाल
प्रधान
ग्राम पंचायत खैरनी
बेतालघाट (नैनीताल)

अजन सिंह
सरपंच,
वन पंचायत
ग्राम सभा खैरनी (नैनीताल)

अ-27124
ग्राम सभा खैरनी
बेतालघाट (नैनीताल)

Main Attachment- 1.6

परियोजना का नाम :- मुख्य मंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विकास खण्ड बेतालघाट में थापली से रहेली तक मोटर मार्ग।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कोश्याँ-कुटोली/बेतालघाट
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, बेतालघाट

उपखण्ड बेतालघाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत थापली से रहेली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, 2.187 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि शून्य हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 2.187 हे० वन भूमि) का निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील बेतालघाट) की दिनांक 03/08/2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री गोरेब चटवाल, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | |
|----|---------------------|---------------------------|------------|
| 1- | श्री गोरेब चटवाल | उपजिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2- | श्री उमेश नागी | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3- | श्री समान कल्याण | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य/सचिव |
| 4- | श्रीमती प्रेमा देवी | बी०डी०सी० क्षेत्र | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत थापली से रहेली मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.187 हे० सिविल भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड बेतालघाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत थापली से रहेली मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.187 हे० वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-बेतालघाट
जनपद- नैनीताल

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-बेतालघाट
जनपद- नैनीताल

परियोजना का नाम :- मुख्य मंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विकास खण्ड बेतालघाट में थापली से रहेली तक मोटर मार्ग।

प्रारूप-30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Nainital

No. 18/09/19

Dated-18/09/19

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.187** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Executive Enginner, Construction Division, P.W.D., Nainital** (name of user agency) for **Construction of Thapli to Raheli motor road** (purpose for diversion of forest land) in **Nainital** district falls within jurisdiction of **Khairni, Raheli** village (s) in **Betalghat** tehsils.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.187** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **1 to 4**.
- the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

18/09/19
जिला समाज कल्याण अधिकारी
नैनीताल

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

परियोजना का नाम :- मुख्य मंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विकास खण्ड बेटालघाट में थापली से रहेली तक मोटर मार्ग।

Main Attachment- 1.6

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand, Office of the District Collector Nainital

No. *18/09/19*

Dated- *18/09/19*

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **2.187** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Executive Enginner, Construction Division, P.W.D., Nainital** (name of user agency) for **Construction of Thapli to Raheli motor road** (purpose for diversion of forest land) in **Nainital** district falls within jurisdiction of **Khairni, Raheli** village (s) in **Betalghat** tehsils.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.187 hectares** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure *1..to 4..annexure. (4)*
- the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of **Khairni, Raheli** villages(s) is enclosed as annexure *1.. to 3..annexure. (3)*
- the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl:As,above.

Aman
18/09/19
जिला समाज कल्याण अधिकारी
नैनीताल

Signature *जिलाधिकारी*
(Full name and official seal
of the District Collector)

परियोजना का नाम :- मुख्य मंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विकास खण्ड बेतालघाट में थापली से रहेली तक मोटर मार्ग।

Main Attachment- 1.6

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT ~~Nainital~~ (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Nainital district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss ~~Savitri Ramal~~ I.A.S. deputy commissioner,. Nainital on dated ~~18/09/19~~ at timeat ~~Nainital~~ in which application claiming rights in **Khairni, Raheli** area measuring 2.187 hect for the construction of **Thapli to Raheli motor road** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Betalghat sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Nainital

Dated: ~~18/09/19~~

~~Anwar~~
~~18/09/19~~
जिला समाज कल्याण अधिकारी
नैनीताल

~~8/10~~
जिलाधिकारी
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee